न्यायालयः अपर सैशन न्यायाधीश, क्रम-2, हिण्डौनसिटी, जिला करौली।

पीठासीन अधिकारी **: सुमरथ लाल मीना**, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी विविध प्रकरण (CIS) सं–410/2026

हिम्मतसिंह पुत्र बाबूलाल उम्र करीब 29 साल निवासी खेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली। ––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम्

राजस्थान सरकार, जरिए अपर लोक अभियोजक, हिण्डौनसिटी।

–––अप्रार्थी

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 बीएनएसएस
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 417/25, पुलिस थाना सदर हिण्डौन,
अंतर्गत धारा 13 आरपीजीओ एक्ट, 112(2) बीएनएस,

उपस्थितिः
1. श्री सैयद नफासत हुसैन, अधिवक्ता, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से।
2. श्री जितेन्द्र खैमरिया, अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

आदेश **दिनांकः 04.06.2026**

1. प्रार्थी–अभियुक्त हिम्मतसिंह की ओर से अग्रिम जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस जरिए अधिवक्ता प्रस्तुत किया, जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई और संबंधित केस डायरी मय तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 09.10.25 को शिवसिंह हैड कांस्टेबिल मय जाब्ता मुखबिर की सूचना पर सांकेतिक स्थान बाजना पेट्रोल पंप तिराहा के पास पहुंचा, जहां मुखबिर के बताए हुलिए का एक व्यक्ति फरीदाबाद का सट्टा लगाओ और एक रूपए के नब्बे रूपए पाओ की आवाज लगाकर सट्टे की खाईवाली कर रहा था। जिसके आसपास कुछ लोग खडे थे, जो पुलिस की गाडी को देखकर भाग गए। खाईवाली करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम देवेन्द्र पुत्र बृजमोहन बताया, जिसके बाएं हाथ में सफेद लाईनदार सट्टा पर्ची, एक बॉल पैन व पायजामा में सट्टा राशि 2220 रूपए और मोबाइल मिला। उक्त देवेन्द्र ने सट्टे का काम करना और लोगों से रूपए लेकर सट्टा अंक की पर्ची के हिसाब से हिम्मत पुत्र बाबू के मोबाइल 7568982148 पर भेज देना बताया। उक्त देवेन्द्र प्रजापत ने अपने पास इस संबंध में कोई वैध अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया। इस प्रकार उक्तानुसार संगठित अपराध किया जाना पाने पर उक्त सट्टा राशि व पर्चियों, मोबाइल आदि को नियमानुसार जब्त कर अभियुक्त देवेन्द्र को गिरफ्तार किया गया और थाना वापसी पर मु.नं.417/25 अंतर्गत धारा 13 आरपीजीओ, 112(2) बीएनएस में दर्ज कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त हिम्मतसिंह के विरूद्ध भी उक्त आरोप प्रमाणित पाए जाने पर उसकी

गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। प्रार्थी/अभियुक्त ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए हस्तगत अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने बहस करते हुए कहा है कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी की किसी प्रकार की बरामदगी व अन्य प्रकरण से गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है। प्रार्थी को पुलिस गिरफ्तार करने पर आमादा है, गिरफ्तार होने से उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। प्रार्थी पुलिस की अनुसंधान में सहयोग करने को तैयार है और न्यायालय के आदेशानुसार माकूल जमानत पेश करने को तैयार है। अतः उसे अग्रिम जमानत की सुविधा का लाभ दिया जावे।
4. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।
5. प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध अन्य कोई प्रकरण दर्ज नहीं रहा है।
6. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं केस डायरी का अवलोकन किया। जिससे प्रकट आया है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 13 आरपीजीओ, 112(2) बीएनएसएस के आरोप प्रमाणित पाया जाना दर्शाया गया है। प्रकरण के सहअभियुक्त देवेन्द्र प्रजापत ने प्रार्थी/अभियुक्त की भी घटना में संलिप्तता बताई है। केस डायरी पर सहअभियुक्त देवेन्द्र के वाट्सएप से प्रार्थी/अभियुक्त हिम्मतसिंह के वाट्सएप पर भेजे गए सट्टा अंक व राशि की चैट्स के स्क्रीनशॉट संलग्न है। जिसके संबंध में आरोपित अपराध बाबत उनसे अभिरक्षात्मक अनुसंधान किए जाने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

अग्रिम जमानत के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नजीर जयप्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य, 2012 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एससी) पेज 350 में यह मत व्यक्त किया गया है कि अपवाद स्वरूप ही आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। अग्रिम जमानत का लाभ तभी दिया जाना चाहिए जब न्यायालय के पास प्रथमदृष्ट्या यह मानने का आधार हो कि आरोपी को झूंठा संलिप्त किया जा रहा है और अग्रिम जमानत का लाभ दे दिये जाने पर उसका दुरूपयोग नहीं करेगा।

जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रथमदृष्ट्या रूप से यह प्रकट होता है कि सहअभियुक्त देवेन्द्र ने प्रार्थी/अभियुक्त के मोबाइल पर सट्टा के नंबर उतरवाना बताया है, जिससे संगठित रूप से पैसे लगाकर सट्टा खेलना प्रकट होता है। प्रार्थी/अभियुक्त से अभिरक्षात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होना अनुसंधान अधिकारी ने जाहिर किया है, जिससे प्रकरण में वांछित राशि व सट्टे के काम में ली जा रही सामग्री बरामद की जा सके। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों–परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी व्यक्त किए बिना प्रार्थी–अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः प्रार्थी/अभियुक्त **हिम्मतसिंह** की ओर से पेश किया गया यह अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 बीएनएसएस अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(**सुमरथ लाल मीना**)

8. आदेश आज दिनांक 04.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(**सुमरथ लाल मीना**)